email

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक–बी–6 / नियमन / 474 / पार्ट / 521   भोपाल, दिनांक 06/ 08 / 2020

प्रति,

1. **संयुक्त संचालक / उप संचालक**
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

2. **भारसाधक अधिकारी / सचिव**
   कृषि उपज मण्डी समिति .... (समस्त)
   जिला .... (म.प्र.)

विषयः—भारत सरकार के अध्यादेश दिनांक 5 जून,2020 के संबध में।

—0—

(1) दिनांक 5 जून,2020 को भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ''किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020'' प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति और अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों की प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की गई है।

(2) भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि उपज के विपणन के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए किसानों को अपनी स्वेच्छा अनुसार कृषि उपज को बेचने की अध्यादेश में स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें किसानों / किसान समूहों, एफपीओ, सहकारी समितियों आदि से सीधे विपणन की अनुमति होगी।

(3) अध्यादेश का उद्देश्य एक ऐसी परिस्थितिकी का सृजन करना है, जिसमें किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की बिक्री और खरीद के संबंध में स्वतंत्रता मिले, उन्हें वैकल्पिक प्रतियोगी व्यापार चैनलों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सहजता हो, किसानों की उपज के लिए राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य को कुशल, पारदर्शी और बाधारहित बनाकर बढ़ावा दिया जा सके और यह व्यवस्था बाजार परिसरों अथवा विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार से संबंधित कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित सदृश बाजारों से बाहर हो, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और उससे संबंधित विषयों के लिए आसान ढॉचा उपलब्ध कराया जाए।

अतः भारत सरकार के अध्यादेश की मंशा अनुसार मण्डी समितियों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5.8.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल